गणेश दत्त

बनाम

उत्तराखंड राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1881/2011)

11 जून 2014

[जगदीश सिंह खेहर और सी. नागप्पन, जे.जे.]

दंड संहिता, 1860 & एस.एस 302/149, 307/149, 324/149, एस.एस.147 और 148 - के तहत दोषसिद्धि - अभियोजन पक्ष का मामला कि आरोपियों ने हथियारों से लैस होकर पिता और उसके दो बेटों पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप एक बेटे की मौत हो गई और दूसरे के चोटें आई औरा निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि और सजा का आदेश - माना गया: अपीलकर्ता के अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन की विफलता - मृतक पर हमले के संबंध में, चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत नेत्र साक्ष्य-घटना के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद नहीं हुए - अपीलकर्ता परिवार और मृतक परिवार के बीच दुश्मनी पिता औरा उसके पुत्र हितबद्ध के साथ-साथ शत्रुतापूर्ण साक्षी भी थे - उनके द्वारा अपीलकर्ता के शरीर पर चोटों से इनकार - अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही असंगत - घटना के स्थान के संबंध में - साथ ही

खून से सनी मिट्टी को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया - इस प्रकार, दोषसिद्धि का आदेश अपास्त किया गया - सबूत।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ताओं- 1 से ए 5 ने खतरनाक हथियारों से लैस होकर पीडब्लू3 और उसके बेटों पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप उनके बेटे 'पी' की मौत हो गई और उनके बेटे, पीडब्लू2 को चोटें आईं। पीडब्लू3 और उसके बेटे-पीडब्लू1, पीडब्लू2 ने घटना देखी। उन्होंने कहा कि जब वे अपने घर के सामने बैठे थे, अपीलकर्ता हथियारों से लैस होकर वहां आए और 'एस' ने उन्हें मारने के लिए चिल्लाया और उसके बाद, 'एस' और 'डीएन' ने 'पी' और पीडब्लू2 पर गोलियां चलाईं। अन्य अपीलकर्ताओं ने भी उन पर हमला किया। हमले का बचाव करते समय पीडब्लू 2 को चोटें आईं। इसके बाद अपीलकर्ता भाग गये। शिकायत दर्ज कराई गई 'पी' और पीडब्लू2 को अस्पताल में भर्ती किया गया था

उसी दिन 'पी' ने दम तोड़ दिया। ट्रायल कोर्ट ने ए 1 से ए 5 को धारा 302/149, 307/149, 324/149, एस 147 और एस. 148 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया और तदनुसार उन्हें सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने आदेश को बरकरार रखा। इसलिए, यह अपील।

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया

1. अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने में विफल रहा, और इसलिए, वे बरी होने के हकदार हैं। [पैरा 20] [115-सी]

2.1. प्रत्यक्षदर्शी पीडब्लू 1 से 3 और सीडब्लू-1, मृतक 'पी' की विधवा ने गवाही दी है कि आरोपी 'एस' और आरोपी 'डीएन' ने घटना के दौरान क्रमशः 'पी' पर पिस्तौल और बंदूक से गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप घायल हो गया, लेकिन चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार 'पी' के शरीर के किसी भी हिस्से पर बंदूक की गोली का कोई घाव नहीं पाया गया। आरोपी 'एस' और 'डीएन' द्वारा हमले के संबंध में चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ नेत्र संबंधी साक्ष्य पूरी तरह से असंगत थे। अगर ये मामला झूठा है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि दूसरा चश्मदीदों द्वारा बताए गए हमले के आरोप भी झूठे नहीं थे। [पैरा 14] [110-सी-ई]

2.2. प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुसार घटना में प्रयुक्त हथियार देशी पिस्तौल, बंदूक, कुल्हाड़ी और लाठियाँ थे। पीडब्लू7 सब-इंस्पेक्टर ने कहा कि वह जांच के दौरान घटना स्थल पर गया और मौके से 12 बोर की 10 गोलियां जब्त कीं, जिनमें से 4 खाली थीं और 6 जिंदा थीं। प्रारंभिक जांच पीडब्ल्यू7 सब-इंस्पेक्टर द्वारा की गई थी और उसके बाद, इसे पीडब्ल्यू5 इंस्पेक्टर द्वारा जारी रखा गया और निष्कर्ष निकाला गया। उन्होंने घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने के लिए कोई

कदम नहीं लिया। जांच की किसी वैज्ञानिक पद्धति को सेवा में नहीं लगाया गया। इस संबंध में जांच अधिकारियों की गवाही में कोई स्पष्टीकरण नहीं था। जांच करने वाले अधिकारियों का सुस्त रवैया निंदनीय है। [पैरा 15] [110-जी-एच; 111-ए-बी]

2.3. ट्रायल में, मुख्य परीक्षा में पीडब्लू1 ने 'एस' और 'डीएन' पर लगी चोटों के बारे में कुछ नहीं बताया। जिरह में उन्होंने गवाही दी कि घटना के दौरान 'एस' और 'डीएन' को कोई चोट नहीं आई और आगे कहा कि घटना से 16-17 दिन पहले 'एस' को एक जीप दुर्घटना में चोट लगी थी। यह गवाही इस कारण से सच नहीं हो सकती क्योंकि घटना वाले दिन डॉक्टर ने अस्पताल में उसकी जांच की और उसके शरीर पर चोटें ताजा पाईं। पीडब्लू2 ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त की चोटों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिरह में उन्होंने कहा कि घटना के दौरान आरोपी 'एस' ने आरोपी 'जे' के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और छीनने की प्रक्रिया के दौरान उसका हाथ घायल हो गया और कुल्हाड़ी से आंखों के पास भी चोट लगी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने यह नहीं देखा कि घटना के दौरान 'डीएन' को कोई चोट पहुंची थी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि वह पहली बार कोर्ट के सामने इसका जिक्र कर रहे हैं। ऐसी गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी तरह पीडब्लू3 ने अपनी मुख्य गवाही में अभियुक्त की चोटों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिरह में उन्होंने कहा

कि उन्होंने आरोपी 'एस' को घटना के दौरान कोई चोट लगते नहीं देखा। [पैरा 17] [113- ई-एच; 114-ए-बी]

2.4. जो चश्मदीद गवाह आरोपी के शरीर पर चोटों की उपस्थिति से इनकार करते हैं, वे अधिकांश सारभूत बिंदुओं पर झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए, उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं। यह बहुत अधिक महत्व रखता है जहां साक्ष्य में रुचि रखने वाले या शत्रुतापूर्ण गवाह शामिल होते हैं। मौजूदा मामले में, स्वीकार है कि आरोपी परिवार और मृतक परिवार के बीच दुश्मनी थी और पीडब्लू 1 से 3 हितैषी होने के साथ-साथ शत्रु गवाह भी हैं और आरोपी के शरीर पर चोटों से इनकार करना उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है। [पैरा18][114-डी-ई]

बाबूलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2004 (6) पूरक एससीआर 633:(2005) 10 एससीसी 404 - संदर्भित।

2.5. यह भी कथन है कि अभियोजन पक्ष द्वारा हमले की स्थिति स्थापित नहीं की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में, शिकायतकर्ता पीडब्लू3 ने कहा कि वह और उसके बेटे अपनी आटा चक्की में बैठे थे और सुबह लगभग 6 बजे बातें कर रहे थे, तभी हमलावर आए और उन पर हमला कर दिया। गवाही में, पीडब्ल्यू 1 ने कहा कि जब हमला हुआ तो वे अपने घर के सामने बैठे थे। पीडब्ल्यू 2 ने गवाही दी कि हमला आटा चक्की पर नहीं बल्कि 'पी' के घर के बरामदे में हुआ था। पीडब्लयू3 ने गवाही दी

कि का स्थान घटना आटा चक्की से करीब 50 कदम की दूरी पर है. इस प्रकार, उनकी गवाही में घटना के स्थान के बारे में असंगतता है और एक संदेह व्याप्त है। हालांकि जांच अधिकारी पीडब्ल्यू 7 द्वारा घटना स्थल से खून से सनी मिट्टी जब्त करने का दावा किया गया था, लेकिन इसे रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था जिससे हमले की स्थिति तय की जा सकती थी। लगभग सभी आपराधिक मामलों में घटनास्थल से मिली खून से सनी मिट्टी को हमेशा रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाता है और मिट्टी के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और फिर भी यह एक असाधारण मामला है जहां इस प्रक्रिया को सर्वोत्तम कारणों जो अभियोजन पक्ष को ज्ञात है, से हटा दिया गया है। [पैरा 19] [114- एफ-एच; 115-ए-बी]

केस कानून संदर्भ:

2004 (6) सप्ल. एससीआर 633 पैरा 18 में संदर्भित

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक की अपील संख्या 1881/2011

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल आपराधिक अपील संख्या 927/2001 में के निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2010 से।

नागेंद्र राय, महाबीर सिंह, मुकेश के गिरी. एएजी., रचना जोशी इस्सर, मनोज गोर्कला, आर.के. श्रीवास्तव, राकेश कुमार, स्मिता कुमारी,

प्रमोद कुमार, लक्ष्मी रमण सिंह, आनंद अमृत राज, कौशिक पोद्दार, अभिषेक अत्रे, आशुतोष कुमार शर्मा, ब्रिजेश पांचाल, जतिंदर कुमार भाटिया उपस्थित पार्टियों के लिए।

न्यायालय का फैसला सी. नागप्पन, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. दोनों अपीलें आपराधिक अपील संख्या 927/ 2001 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 22.12.2010 के खिलाफ दायर की गई हैं।

2. आपराधिक अपील संख्या 1884/2011 में अपीलकर्ता 1 से 4, सुदर्शन वर्मा, जगदीश, दीप नारायण और राजेंद्र आरोपी संख्या 1 से 4 थे और 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1881 में अपीलकर्ता गणेश दत्त पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नैनीताल की फाइल पर 1990 के सत्र परीक्षण मामले संख्या 109 में आरोपी सं 5 था। और आईपीसी की धारा 147, 148, 302 सहपठित 149, 307 सहपठित 149 और धारा 324 सहपठित 149 आईपीसी के तहत आरोपों पर मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने उनमें से प्रत्येक को दोषी कहा गया और आईपीसी की धारा 302/149 के तहत आजीवन कारावास की; आईपीसी की धारा 307/149 के तहत 7 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास; धारा 324/149 आईपीसी के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास, धारा 147 आईपीसी के तहत छह महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास और धारा

148 आईपीसी के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए उन्होंने आपराधिक अपील संख्या 927/2001 प्रस्तुत की और उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने अपील को खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर उन्होंने वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

3. अनावश्यक विवरणों से रहित अभियोजन पक्ष का मामला इस प्रकार है: पीडब्लू 1 बाली राज, पीडब्लू 2 मोती लाल मृतक प्रभुनाथ और राज बाली पीडब्लू 3 राम लखन के बेटे हैं। 26.8.1989 को सुबह लगभग 6 बजे वे नौकर बहादुर के साथ प्रभुनाथ के घर के बरामदे में बैठे थे और उसी समय आरोपी सुदर्शन वर्मा देशी पिस्तौल से लैस, दीप नारायण बंदूक से लैस, जगदीश कुल्हाड़ी (फरसा) से लैस, राजेंद्र और गणेश दत्त लाठियों से लैस होकर वहां आए और आरोपी सुदर्शन ने उन्हें आज ही मारने के लिए चिल्लाया और इतना कहकर उसने पिस्तौल से प्रभुनाथ पर गोली चला दी और आरोपी दीप नारायण ने पीडब्लू 2 मोतीलाल और राज बाली पर गोलियां चला दीं और आरोपी जगदीश ने पीडब्लू 2 मोतीलाल की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसका उसने बाएं हाथ से बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप चोटें आईं और आरोपी राजेंद्र और गणेश उन पर लाठियों से हमला किया फायर की आवाज और चिल्लाने पर ग्रामीण वहां आए तो आरोपी भाग गए।

4. आरोपी सुदर्शन, जो उस समय ग्राम प्रधान था, ने पुलिस स्टेशन रुद्रपुर जाकर प्रभुनाथ, मोतीलाल और बाली राज के खिलाफ 26.8.1989 को सुबह 7.25 बजे पहली सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और अपराध संख्या 583/1989 आईपीसी की धारा 307 और 324 के तहत कथित अपराध के रूप में मामला दर्ज किया गया। पीडब्लू 3 राम लखन घायल प्रभुनाथ, पीडब्लू 2 मोती लाल और राजबली को पुलिस स्टेशन रुद्रपुर ले गए और उसी दिन सुबह 8.10 बजे आरोपी सुदर्शन, जगदीश, दीप नारायण, राजेंद्र और गणेश दत के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर अपराध के रूप मे क्रमांक 583 ए अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 324 और 323 भा. द. स. के कथित अपराधों के लिए मामलों दर्ज किया गया और घायलों को अस्पताल भेजा गया।

5. जवाहर लाल अस्पताल रुद्रपुर के चिकित्सा अधिकारी पीडब्ल्यू 6 डॉ ए. के. राणा ने 26.8.1989 को सुबह 9.40 बजे अस्पताल में प्रभुनाथ की जांच की और निम्नलिखित चोटें पाईं

> "(i) बाएं कान की लोब से 12 सेमी दूर सिर के ऊपर 4 सेमी x 4 सेमी की खरोंच ताजा रक्तस्राव मौजूद है।
>
> (ii) बाएं जबड़े पर 15 सेमी x 10 सेमी का घाव और पूरी सतह पर कई छेद वाले घाव। खोपड़ी के एक्स-रे की सलाह दी गई। ताजा रक्तस्राव मौजूद छिद्रित घाव का आकार 0.5

सेमी x 0.25 सेमी x जांचा नहीं गया (गहराई) और किनारे उल्टे हैं।

(iii) पूरी गर्दन के बाईं ओर 15 सेमी x 20 सेमी का घाव, 0.25 सेमी x 0.25 सेमी x मापने वाले कई छिद्रित घावों के साथ घाव के किनारों की जांच (गहराई) नहीं की गई है। गर्दन और बाएं कंधे के एक्स-रे की सलाह दी गई। ताजा रक्तस्राव मौजूद।

(iv) एक कटा हुआ घाव बायीं ऊपरी भुजा पर 7 सेमी x 5 सेमी x मांसपेशी तक गहरा एक कटा हुआ घाव बायीं कोहनी के शीर्ष से 4 सेमी ऊपर। ताजा रक्तस्राव मौजूद ।

(v) बायीं कोहनी की नोक पर 5 सेमी x 5 सेमी हड्डी गहरा एक कटा हुआ घाव, जो ऊपर की ओर फैला हुआ है। ताजा रक्तस्राव मौजूद ।

(vi) मध्यमा अंगुली की बायीं ओर की हड्डी पर 5 सेमी x 2 सेमी x मांसपेशी में गहरा एक कटा हुआ घाव। ताज़ा रक्तस्राव मौजूद है।"

उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श ए 8 में कहा कि चोट नंबर 1 साधारण थी और किसी भी कठोर वस्तु के कारण हो सकती थी; चोट संख्या 4, 5 और 6 किसी तेज धार वाले हथियार के कारण हो सकती हैं और चोट

संख्या 2 और 3 को निगरानी में रखा गया है और घायलों की सामान्य स्थिति बहुत गंभीर है।

पीडब्लू6 डॉ. ए.के. राणा ने 26.8.1989 को सुबह 9.45 बजे अस्पताल में पीडब्लू2 मोती लाल की जांच की और निम्नलिखित चोटें पाईं:

(i) माथे के दाहिनी ओर हेयरलाईन पर सेमी x 4 सेमी का एक घाव जिसके साथ एक पंचर घाव के साथ हेयरलाइन 0.25 सेमी x 0.25 सेमी गहराई (जाँच नहीं की गई) का एक पंचर घाव का ताज़ा रक्तस्राव मौजूद होने की सलाह दी गई खोपड़ी के एक्स-रे की राय की गई।

(ii) बायीं पलक के ठीक नीचे 4 सेमी x 3 सेमी का घाव, जिसके बीच में 0.25 सेमी x 0.25 सेमी x गहराई (जाँच नहीं की गई)का एक पंचर घाव, घाव का किनारा उल्टा है। खोपड़ी के एक्स-रे की सलाह दी गई। ताजा खून बह रहा है..

(iii) छाती के सामने की तरफ दांयी ओर छाती के बांयी तरफ एकाधिक छिद्रित घाव 0.25 सेमी 0.25 सेमी गहराई (जाँच नहीं की गई) ताजा रक्तस्राव मौजूद. छाती के एक्स-रे की सलाह दी गई।

(iv) दाहिनी बांह के अग्र भाग पर, 25 सेमी x 0.25 सेमी X छेदा हुआ घाव जिसकी जांच (गहराई) नहीं की गई है। अग्र भुजा के एक्स-रे की सलाह दी गई।

(v) अंगूठे के दाहिने आधार पर 0.25 सेमी x 0.25 सेमी x जांच (गहराई) नहीं की गई है का एक छेडा हुआ घाव, घाव का किनारा उल्टा है। ताजा रक्तस्राव मौजूद. दाहिने हाथ का एक्स-रे की सलाह दी गई।

(vi) दायीं तरफ अग्र भुजा के उपरी ओर समीपस्थ आधे भाग पर 7 सेमी x 5 सेमी मांसपेशी तक गहरा कटा हुआ घाव । ताजा रक्तस्राव मौजुद।

उन्होंने कहा कि चोट संख्या 1 से 5 को निगरानी में रखा गया था और वे ताजा थीं और चोट संख्या 6 साधारण थी और यह किसी तेज धार वाले हथियार के कारण हो सकती थी।

पीडब्लू6 डॉ. ए.के. राणा ने अस्पताल में सुबह 9.50 बजे राज बाली की जांच की और बाईं आंख के निचले हिस्से पर 6 सेमी x 4 सेमी का घाव पाया और राय दी कि चोट सामान्य प्रकृति की थी।

6. पीडब्लू 7 उप-निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने जांच शुरू की और 26.8.1989 को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल का दौरा किया और उसी दिन अस्पताल में प्रभुनाथ की मृत्यु के बारे में पता चलने के बाद धारा आईपीसी के तहत अपराध को बदल दिया और उसी दिन हॉस्पीटल में पीडब्लू 2 की जांच की। मोतीलाल और राजबली की जांच की उसने कानूनी जॉच तथा पंचों और शिकायतकर्ता के बयान दर्ज किए। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए प्रार्थना पत्र दिया।

7. पीडब्लू4 डॉ. एस.एम. पंत ने 27-08-1989 को दोपहर 2.30 बजे पोस्टमार्टम किया । 27.8.1989 को एफ और निम्नलिखित चोटें पाई:

"(i), बायीं भौंह से 11 सेमी ऊपर सिर पर 2 सेमी x ½ सेमी x खोपड़ी तक गहरा घाव

(ii) चेहरे के बाईं ओर, बाईं ओर गर्दन के किनारे और बाएँ ऊपरी छाती के 30 सेमी x 10 सेमी के क्षेत्र में 0.25 सेमी से 0.5 सेमी, प्रकार की खरोंच। सभी चोंटे किसी लाल रंग की औषधि से रंगी हुई।

(iii) बायीं निपल ओर के 10 सेमी x 8 सेमी के क्षेत्र में घाव

(iv) नाभि से दाहिनी ओर 3 सेमी पेट के दाहिनी ओर 12 सेमी x 15 सेमी का घाव?

(v) बाएं ऊपरी बांह के पिछले हिस्से पर, कोहनी से 1 सेमी की दूरी पर, 4 सेमी लंबे दो टांके के साथ सिला हुआ घाव।

(vi) चोंटे क्रमांक (अ) के 5 सेमी लंबे 3 टांके के साथ सिला हुआ घाव।

(vii) बायीं मध्यमा उंगली की हडडी के समीपस्थ बायीं मध्यमा उंगली की हडडी के समीपस्थ 1.5 सेमी मांसपेशाी तक गहरा क्षतविक्त घाव दवा से रंगा हुआ।

(viii) तर्जनी उंगली के मध्य हडडी पर 1 सेमी x मांसपेशी की गहराई पर फटा हुआ घाव तर्जनी का मध्य भाग।"

उन्होंने शव परीक्षण रिपोर्ट में कहा कि मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव से हुई थी।

8. पीडब्लू 7 उप-निरीक्षक सुरेंद्र सिंह घटना स्थल पर गए और साइट-प्लान तैयार किया और गवाहों की उपस्थिति में खून से सनी मिट्टी और नमूना मिट्टी जब्त की। उन्होंने मेमो तैयार कर घटनास्थल से 12 बोर की 10 गोलियां भी जब्त कीं, जिनमें से 4 खाली थीं और 6 जिंदा थीं. उन्होंने मृतक की पत्नी श्रीमती राजकुमारी की। 27.8.1989 को परीक्षित किय और इसका लेखबद्ध किया। तत्पश्चात पीडब्लू 5 इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार भारद्वाज ने जांच जारी रखी और जब्ती गवाहों सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए और जांच पूरी की, आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और इसे पंचम सत्र न्यायाधीश के 1990 के सत्र परीक्षण मामले संख्या 109 में फाइल पर लिया गया।

9. क्रॉस केस में, अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई और इसे उसी न्यायालय की फाइल पर सत्र परीक्षण संख्या 177/1990 में फाइल पर लिया गया। दोनों मामलों की सुनवाई एक ही अदालत में हुई। सत्र परीक्षण संख्या 109/1990 के मामले में अभियोजन गवाहों पीडब्लू 1 से 7 की जांच की गई और एक्स ए1 से ए17 में दस्तावेजों को चिह्नित किया

गया और मृतक की पत्नी राज कुमारी की सीडब्ल्यू -1 के रूप में जांच की गई। ट्रायल कोर्ट ने 1990 के सेशन ट्रायल नंबर 109 में सभी पांच आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए दोषी पाया और उन्हें ऊपर बताए अनुसार सजा सुनाई। प्रस्तुत अपील खारिज कर दी गई और अब उसके खिलाफ अपील की गई है। उसी समय ट्रायल कोर्ट ने सेशन ट्रायल नंबर 177/1990 में क्रॉस केस में पाया कि सुदर्शन वर्मा और उनके सहयोगी हमलावर थे और आरोपी मोतीलाल और बाली राज को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। बरी किए जाने को चुनौती देते हुए राज्य ने सरकारी अपील संख्या 2017/2001 को प्राथमिकता दी और शिकायतकर्ता सुदर्शन वर्मा ने स्वतंत्र रूप से आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 92/2001 को प्राथमिकता देकर बरी किए जाने को चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने सभी मामलों की एक साथ सुनवाई के बाद सरकारी अपील के साथ-साथ आपराधिक अपील दोनों को समान निर्णय से खारिज कर दिया। और यह अंतिम हो गया है क्योंकि आगे कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

10. प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री मुकेश के. गिरि ने निर्देश पर प्रस्तुत किया कि आपराधिक अपील संख्या 1884/2011 में दूसरे अपीलकर्ता जगदीश की जेल में सजा काटते समय 9.1.2012 को मृत्यु हो गई। सबमिशन दर्ज किया गया जहां तक उनका सवाल है, अपील उपशमित की जाती है।

11. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया कि अपीलकर्ता सुदर्शन वर्मा को 19 चोटें आईं और अपीलकर्ता दीप नारायण को भी घटना में चोटें आईं। नेत्र गवाह अर्थात् पीडब्ल्यू 1 से 3 हितबद्ध और शत्रुतापूर्ण गवाह हैं और उन्होंने अपनी गवाही में यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ता को ऊपर उल्लिखित आरोपियों को घटना के दौरान चोटें लगीं कैसे और वे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए, उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं और इसके अलावा हमले के संबंध में उनकी चश्मदीद गवाही चिकित्सा साक्ष्य के साथ असंगत है और अपराध के हथियार बरामद नहीं हुए और हमले की स्थिति भी तय नहीं की गई थी और इसलिए अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है और अपीलकर्ताओं पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द किये जाने योग्य है।

12. इसके विपरीत, प्रतिवादी राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं/अभियुक्तों के शरीर पर लगी चोटें प्रकृति में बहुत गंभीर नहीं हैं और प्रत्यक्ष साक्ष्य स्पष्ट, ठोस हैं और अपीलकर्ताओं/अभियुक्त पर लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण नहीं देना स्वत अभियोजन मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है और अपीलकर्ताओं पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा टिकाऊ है।

13. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अपीलकर्ता खतरनाक हथियारों से लैस होकर आए और पीडब्लू 3 राम लखन और उसके बेटों पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप प्रभुनाथ की मौत हो गई और पीडब्लू 2 मोती लाल घायल हो गए। अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 1 बाली राज, पीडब्लू 2 मोती लाल और उनके पिता पीडब्लू 3 राम लखन से घटना के गवाह के रूप में पूछताछ की। उन्होंने गवाही दी है कि 26.8.1989 को सुबह लगभग 6 बजे, जब वे अपने घर के सामने बैठे थे, आरोपी सुदर्शन देशी पिस्तौल, दीप नारायण बंदूक, जगदीश कुल्हाड़ी, राजेंद्र और गणेश दत्त लाठियों से लैस होकर वहां आए। और सुदर्शन ने आज उन्हें मारने के लिए चिल्लाया, ऐसा कहकर उसने और दीप नारायण ने प्रभुनाथ और पीडब्लू 2 मोती लाल पर गोलियां चलाईं और जगदीश ने पीडब्लू 2 मोती लाल की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला करने की कोशिश की, जिसका उसने अपने बाएं हाथ से बचाव किया, जिसके परिणामस्वरूप घायल हो गए। राजेन्द्र और गणेश दत्त ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया. फायरिंग और चीख-पुकार की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां जमा हो गए और आरोपी भाग गए। पीडब्लू 3 राम लखन अपने घायल बेटों प्रभुनाथ और पीडब्लू 2 मोती लाल को पुलिस स्टेशन रुद्रपुर ले गए और शिकायत दर्ज कराई और घायलों को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीडब्ल्यु6 डॉ.ए.के. राणा ने 26.8.1989 को सुबह 9.40 बजे घायल प्रभुनाथ की जांच की और बाएं हाथ पर 3 कटे हुए घाव, गर्दन और बाएं कंधे पर कई चोटों

के साथ 2 घाव और सिर के शीर्ष पर एक खरोंच पाया। उन्होंने निर्देशित कि सिर, गर्दन और बाएं कंधे का एक्स-रे लिया जावें और घायलों की सामान्य स्थिति बहुत गंभीर पाई गई। उनका मानना था कि कटे हुए घाव साधारण थे और किसी तेज धार वाले हथियार से हो सकते थे और घर्षण साधारण था और किसी कठोर वस्तु से हो सकता था। निगरानी के अंतर्गत रखे जाने के कारण उन्होंने घावों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं की है। उन्होंने उसी अस्पताल में सुबह 9.45 बजे पीडब्लू2 मोती लाल की भी जांच की और 2 चोटें पाईं; माथे पर और बाईं आंख की पलक के नीचे, छाती और दाहिनी बांह पर छेद किए गए घाव और दाहिनी बांह पर एक कटा हुआ घाव और राय दी गई कि चोटों की प्रकृति साधारण थीं। 26.8.1989 को अस्पताल में ही प्रभुनाथ की मृत्यु हो गई। पीडब्लू 4 डॉ. एस.एम. पंत ने शव परीक्षण किया और ऊपर उल्लिखित वही चोटें पाईं और राय दी कि मृतक की मृत्यु मृत्यु पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव से हुई थी और आगे देखा कि मौत एक दिन पहले हुई थी और बन्दूक से कोई चोट नहीं थी। प्रदर्श ए 8 शव परीक्षण रिपोर्ट है. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि घटना के दौरान लगी चोटों के कारण प्रभुनाथ की मृत्यु हो गई।

14. चश्मदीद गवाह अर्थात् पीडब्लू 1 से 3 और सीडब्ल्यू-1 श्रीमती राजकुमारी विधवा - मृतक प्रभुनाथ ने गवाही दी है कि आरोपी सुदर्शन और आरोपी दीप नारायण ने घटना के दौरान प्रभुनाथ पर क्रमशः पिस्तौल और बंदूक से गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप चोटें आईं, लेकिन

चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार प्रभुनाथ के शरीर के किसी भी हिस्से पर बंदूक की गोली का कोई घाव नहीं पाया गया। इस प्रकार संक्षेप में, आरोपी सुदर्शन और दीप नारायण द्वारा मृतक प्रभुनाथ पर हमले के संबंध में नेत्र साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य के साथ पूरी तरह से असंगत हैं। यदि यह मामला झूठा है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि चश्मदीदों द्वारा बताए गए अन्य हमले भी झूठे नहीं थे।

15. प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुसार घटना में प्रयुक्त हथियार देशी पिस्तौल, बंदूक, कुल्हाड़ी और लाठियाँ हैं। अपनी गवाही में पीडब्ल्यु7 सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने कहा है कि वह जांच के दौरान घटना स्थल पर गए और प्रदर्श ए 16 मेमो के तहत घटनास्थल से 12 बोर की 10 गोलियां जब्त कीं, जिनमें से 4 खाली थीं और 6 जिंदा थीं, प्रारंभिक जांच पीडब्ल्यु 7 सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह द्वारा किया गया और उसके बाद इसे पीडब्ल्यु5 इंस्पेक्टर विजेंद्र कुमार भारद्वाज द्वारा जारी रखा गया और समाप्त किया गया। उन्होंने घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियारों को बरामद करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। जांच की किसी वैज्ञानिक पद्धति को काम में नहीं लिया गया। हमें इस संबंध में जांच अधिकारियों की गवाही में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। जांच करने वाले अधिकारियों का सुस्त रवैया निंदनीय है

16. यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ता/अभियुक्त सुदर्शन को व्यापक चोटें लगीं और घटना के दौरान अपीलकर्ता दीप नारायण भी घायल हो गए। क्रॉस केस में डॉ. जे.पी. अरोड़ा ने गवाही दी है कि उन्होंने 26.8.1989 को सुबह 7.30 बजे जवाहर लाल नेहरू अस्पताल, रुद्रपुर में सुदर्शन की जांच की और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:

"(i) कान से 11 सेमी बायीं ओर 4 सेमी खोपडी तक गहरा सिर के ओर पार्श्विक क्षेत्र में कटा हुआ घाव। खून बहना जारी मध्यवर्ती उतक साफ करे हुए।

(ii) बायीं ओर 2 सेमी x 0.25 सेमी x खोपड़ी पर गहरा कटा हुआ घाव सिर की ओर, बाएं कान से 7.5 सेमी ऊपर। खून बह रहा है । हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें।

(iii) माथे के दाहिनी ओर 5 सेमी x 2 x खोपड़ी पर गहरा **घाव** दाहिनी भौंह के ऊपर ½ सेमी, हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें। खून बह रहा है।

(iv) दाहिनी ओर जांच पर 4 सेमी x ½ x त्वचा पर गहरा कटा हुआ घाव, बाएं कान के सामने 3 सेमी. हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ काटें। खून बह रहा है।

(v) बायीं ओर 4 सेमी x 0.2 x खोपड़ी पर गहरा कटा हुआ घाव सिर का, दाहिनी भौंह से 6 सेमी ऊपर।

(vi) चेहरे के दाहिनी ओर ½ सेमी x ½ सेमी, दाहिनी आंख के बाहरी कोण से 4 सेमी दूर घिसा हुआ संलयन।

(vii) गर्दन के सामने बायीं ओर 5 सेमी x ½ सेमी, दाहिनी हंसली से 3 सेमी ऊपर घिसा हुआ संलयन।

(viii) सामने की ओर 2 सेमी x 0.2 सेमी x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव बायीं छोटी उंगली पर उंगली की जड़ से 4 सेमी ऊपर। हस्तक्षेप करने वाले ऊतक वक्र को साफ करते हैं। खून बह रहा है।

(ix) बाईं अनामिका के सामने 2 सेमी x 0.2 सेमी x हड्डी की गहराई में, आधार से 3.5 सेमी ऊपर कटा हुआ घाव। हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें। खून बह रहा है।

(x) बाईं अनामिका के सिरे के सामने 1 सेमी x 0.2 सेमी x त्वचा की गहराई में कटा हुआ घाव। साथ ही खून भी बह रहा है. हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें।

(xi) बायीं मध्यमा उंगली की सतह पर 3.75 सेमी x 0.25 सेमी x हड्डी तक गहरा, उंगली के आधार से 4.5 सेमी ऊपर तिरछा घाव। हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें। खून बह रहा है।

(xii) बायीं तर्जनी के सामने 4.5 सेमी x ½ सेमी x हड्डी तक गहरा कटा हुआ घाव। तिरछा। हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें। खून बह रहा है।

(xiii) बाएं हाथ के बाहरी तरफ 4 सेमी x 0.2 सेमी x हड्डी में गहरा, तर्जनी से 2 सेमी ऊपर कटा हुआ घाव। हस्तक्षेप करने वाले ऊतकों को साफ-सुथरा काटें।

(xiv) 2 सेमी x 0.2 सेमी x त्वचा तक गहरा घाव - बाएं अंगूठे के अंदरूनी हिस्से, जड़, बीच के ऊतकों को साफ काटा गया है। खून बह रहा है।

(xv) 2 सेमी x 4 सेमी x गहराई के दो कटे हुए घाव गहरे ऊतक तक गए और ½ सेमी x ½ सेमी x गहराई गहरे ऊतक तक गए, एक दूसरे से ½ सेमी अलग। खून बह रहा है. दाहिने कंधे के ऊपरी भाग पर, 8 सेमी x 3 सेमी के क्षेत्रफल में।

(xvi) दाएं कंधे पर खंरोच 2 सेमी x 1 सेमी, 3.5 सेमी संख्या (xv) क h अंदरुनी चोट

(xvii) दाईं कंधे के बाहर की ओर खरोंच 1.5 सेमी x 1 सेमी

(xviii) दाहिनी बांह के पीछे खरोंच 1.5 सेमी x 1 सेमी, 8 सेमी बगल के नीचे.

(xix) पीछे की तरफ छाती के दाहिनी ओर खरोंच 1 सेमी x ½ सेमी और बालों के नीचे 4.5 से.मी.

उनका मानना है कि सभी चोटें ताजा थीं और चोट संख्या 1,2,3,5, 8 से 14 और 15 से 19 को निगरानी में रखा गया था और बाकी चोटें

साधारण थीं। उन्होंने यह भी गवाही दी है कि उन्होंने उसी दिन सुबह 9.15 बजे अस्पताल में दीप नारायण की जांच की और दाहिनी आंख की भौंह के ऊपर 1.25 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी का गहरा अनुप्रस्थ घाव पाया। बाद में उन्होंने राय व्यक्त की कि सुदर्शन पर पाई गई चोट क्रमांक 1 से 5 तथा 8 से 14 तलवार से लगी हो सकती है।

17. मुकदमे में, पीडब्लू 1 बाली राज ने मुख्य परीक्षा में सुदर्शन और दीप ई नारायण पर लगी चोटों के बारे में कुछ नहीं बताया। जिरह में उन्होंने गवाही दी कि घटना के दौरान सुदर्शन वर्मा और दीप नारायण को कोई चोट नहीं आई और आगे कहा कि घटना से 16-17 दिन पहले सुदर्शन वर्मा को एक जीप दुर्घटना में चोट लगी थी। यह गवाही इस कारण से सच नहीं हो सकती क्योंकि डॉ. अरोड़ा ने घटना वाले दिन अस्पताल में उसकी जांच की थी और उसके शरीर पर चोटें पाई थीं जो ताजा थीं। पीडब्लू 2 मोती लाल ने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी पर लगी चोटों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। जिरह में उन्होंने बताया कि घटना के दौरान आरोपी सुदर्शन वर्मा ने आरोपी जगदीश के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और छीनने के क्रम में उसका हाथ घायल हो गया और आंख के पास भी कुल्हाड़ी से चोट लगी। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि घटना के दौरान दीप नारायण को कोई चोट लगी थी या नहीं। उसने आगे कहा कि वह यह न्यायालय के समक्ष पहली बार उल्लेख कर रहा है।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी गवाही पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह पीडब्लू 3 राम लखन ने अपनी मुख्य गवाही में अभियुक्तों की चोटों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना के दौरान आरोपी सुदर्शन को कोई चोट लगते नहीं देखा।

18. बाबूलाल भगवान खंडारे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2005) 10 एससीसी 404] में इस न्यायालय ने कहा:

> "घटना के समक्ष या उसके तकरार के दौरान आरोपी को लगी चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न दिया जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थिति है।"

जो चश्मदीद गवाह आरोपी के शरीर पर चोटों की उपस्थिति से इनकार करते हैं, वे अधिकांश भौतिक बिंदुओं पर झूठ बोल रहे हैं, और इसलिए, उनके साक्ष्य अविश्वसनीय हैं। यह बहुत अधिक महत्व रखता है जहां साक्ष्य में रुचि रखने वाले या शत्रुतापूर्ण गवाह शामिल होते हैं। वर्तमान मामले में स्वीकर्त है कि आरोपी परिवार और मृतक परिवार के बीच दुश्मनी थी और पीडब्ल्यू 1 से 3 हितबद्ध होने के साथ-साथ शत्रु गवाह भी हैं और आरोपी के शरीर पर चोटों से इनकार करना उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय बनाता है।

19. यह भी आरोप है कि अभियोजन पक्ष द्वारा हमले की स्थिति स्थापित नहीं की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में शिकायतकर्ता पीडब्ल्यू 3 राम लखन ने कहा है कि वह और उनके बेटे अपनी आटा चक्की पर बैठे थे और लगभग 6:00 बजे बातचीत कर रहे थे, तभी हमलावर आए और उन पर हमला कर दिया। गवाही में, पीडब्ल्यु1 बाली राज ने कहा है कि जब हमला हुआ तो वे अपने घर के सामने बैठे थे। पीडब्ल्यु 2 मोती लाल ने गवाही दी है कि हमला आटा चक्की पर नहीं बल्कि प्रभुनाथ के घर के बरामदे में हुआ था। पीडब्लू 3 राम लखन ने गवाही दी है कि घटनास्थल आटा चक्की से लगभग 50 कदम की दूरी पर है। इस प्रकार उनकी गवाही में घटना के स्थान के बारे में असंगतता है और एक संदेह पैदा होता है.. हालांकि घटनास्थल खून से सनी मिट्टी को जब्त करने का दावा जाँच अधिकारी पीडब्ल्यू 7 सुरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया था।

परंतु इसे रासायनिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था, जिससे हमले की स्थिति तय हो सकती थी। लगभग सभी आपराधिक मामलों में घटनास्थल से मिली खून से सनी मिट्टी को हमेशा रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाता है और मिट्टी के साथ रिपोर्ट अदालत में पेश की जाती है और फिर भी यह एक असाधारण मामला है जहां इस प्रक्रिया को कारणों से हटा दिया गया है। जिसका कारण अभियोजन पक्ष सबसे अच्छी तरह से जानता है।

20. हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने में विफल रहा है, और इसलिए, वे बरी किए जाने के हकदार हैं।

21. परिणाम में 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1881 स्वीकार की जाती है और अपीलकर्ता- गणेश दत्त पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है और उसे आरोपों से बरी किया जाता है और उसे तब तक स्वतंत्र रहने का निर्देश दिया जाता है जब तक कि वह किसी अन्य मामलों के संबंध में वांछित न हो। अपीलकर्ता जगदीश के संबंध में 2011 की आपराधिक अपील संख्या 1884 उपशमित कर दी गई है। जहां तक अन्य अपीलकर्ताओं, सुदर्शन वर्मा, दीप नारायण और राजेंद्र का संबंध है, उक्त अपील स्वीकार की जाती है और उन पर लगाई गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है और उन्हें आरोपों से बरी किया जाता है और उन्हें तब तक स्वतंत्र करने का निर्देश दिया जाता है जब तक किसी अन्य मामले में वांछित न हो।

निधि जैन अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेश जैन (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।